

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 81

लोक सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	559.79	...	559.79	855.00	...	855.00	700.45	...	700.45	800.00	...	800.00
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	559.79	...	559.79	855.00	...	855.00	700.45	...	700.45	800.00	...	800.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष	0.32	...	0.32	1.00	...	1.00	0.60	...	0.60	1.00	...	1.00
2. सदस्य	186.30	...	186.30	301.44	...	301.44	255.48	...	255.48	313.69	...	313.69
3. सचिवालय	371.20	...	371.20	549.72	...	549.72	441.43	...	441.43	482.34	...	482.34
4. सचिवालय (चीफ व्हीप)	0.17	...	0.17	0.32	...	0.32	0.32	...	0.32	0.32	...	0.32
5. अन्य व्यय	1.80	...	1.80	2.52	...	2.52	2.62	...	2.62	2.65	...	2.65
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>559.79</b>	...	<b>559.79</b>	<b>855.00</b>	...	<b>855.00</b>	<b>700.45</b>	...	<b>700.45</b>	<b>800.00</b>	...	<b>800.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>559.79</b>	...	<b>559.79</b>	<b>855.00</b>	...	<b>855.00</b>	<b>700.45</b>	...	<b>700.45</b>	<b>800.00</b>	...	<b>800.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	559.79	...	559.79	855.00	...	855.00	700.45	...	700.45	800.00	...	800.00
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>559.79</b>	...	<b>559.79</b>	<b>855.00</b>	...	<b>855.00</b>	<b>700.45</b>	...	<b>700.45</b>	<b>800.00</b>	...	<b>800.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>559.79</b>	...	<b>559.79</b>	<b>855.00</b>	...	<b>855.00</b>	<b>700.45</b>	...	<b>700.45</b>	<b>800.00</b>	...	<b>800.00</b>

1. **अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष:** यह प्रावधान लोक सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

2. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय प्रावधान, अन्य सुविधाओं, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं के कारण व्यय शामिल हैं।

3. **सचिवालय:** इसमें स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों और संसद भवन में संचालित रेलवे कैंटीन के लिए सस्मिडी और संसद टीवी से संबंधित सहायता अनुदान और व्यय का प्रावधान है।

4. **सचिवालय (चीफ व्हीप):** मुख्य सचेतकों के सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में वेतन और भत्तों का प्रावधान है।

5. **अन्य व्यय:** अंतर-संसदीय संघ और राष्ट्रमण्डल संसदीय एसोसिएशन की वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए अंशदान और माननीय अध्यक्ष के विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान है।